बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!! संकल्प !!

संकल्प सं0–3/सी0 एस0/एम0–703/2011 386/दिनांक–22.7.2014

विषय : **विभिन्न विभागों के गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं अन्य पदों, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति उपरांत अनुमान्य सुविधा के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों पर, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के समकक्षता प्राप्त है, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे महानुभावों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण इनके वेतन एंव अन्य सुविधाओं के निर्धारण में कठिनाईयाँ आ रही है, क्योंकि इनकी सेवाशर्त्त और पेंशन सेवा संहिता एवं पेंशन नियमावली द्वारा निर्धारित होती है।

अतः मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की दर्जा प्राप्त महानुभावों की देय सुविधाओं के लिए निर्गत संकल्प सं0–298, दिनांक–27.04.2012 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों जिनकी नियुक्ति मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की समकक्षता प्राप्त पदों पर होती है, उनको देय सुविधाओं के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–298, दिनांक–27.04.2012 को निम्नांकित रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) कंडिका 3(क) के अंत में निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है :–

"केन्द्र एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की दर्जा प्राप्त है या जिन्हें नियुक्ति के समय उक्त दर्जा एवं सुविधा दिए जाने का निर्णय सरकार द्वारा होता है, ऐसे महानुभावों का वेतन वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक- वि. (27) पे. को. 124/13–246, दिनांक–21.02.2014 के आलोक में निर्धारित किया जाएगा।"

(ii) कंडिका 3(ख) के अंत में निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है :–

"केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री की सुविधाएं प्रदान की गयी है, को आतिथ्य भत्ता के रूप में उसी राशि का भुगतान होगा जो क्रमशः राज्य सरकार के मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को भुगतेय हो।"

E:\KAMLESH\Kaml.doc

(iii) कंडिका 3 (घ) के अंत में निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है

"सरकार के सेवानिवृत्त ऐसे पदाधिकारियों को, जिन्हें मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री के दर्जे की सुविधायें प्रदान की गई है, दैनिक भत्ता की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) कंडिका 3(ङ.) के अंत में निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है :–

"सरकारी आवास नहीं उपभोग करने की स्थिति में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को, जिन्हें मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री की सुविधा प्रदान की गई है, को उनके अंतिम धारित पद के वेतन एवं उनके समय–समय पर पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अनुमान्य आवास भत्ता ही देय होगा"

(v) संकल्प संख्या–502, दिनांक–08.03.2007 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं संकल्प ज्ञापांक–298, दिनांक–27.04.2012 की शेष अन्य सभी कंडिकाएं उप कंडिकायें यथावत रहेंगी।

(vi) यह संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश – **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। साथ ही, सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.07.14

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3 / सी0 एस0 / एम0–703 / 2011...356 पटना–15, दिनांक–22.7.2014

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन / विकास भवन / विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्य मंत्री के सचिव / माननीय मंत्रीगण / सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/07/14

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3 / सी0 एस0 / एम0–703 / 2011...356 पटना–15, दिनांक–22.7.2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/07/14

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

E:\KAMLESH\...